104

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक : 719-दो/2007 - विरूद्ध आदेश दिनांक 01 मार्च, 2007- पारित व्दारा - अपर आयुक्त, रीवाप संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 553/2001-02 अपील

1- श्रीमती पार्वती पत्नि स्व.ललिता प्रसाद
2- हरिकृपाल 3- उदयराज
4- श्रृवणकुमार 5- समयलाल
6- ऋषिकुमार 7- छबिलालप्रसाद
8- सतानन्द पुत्रगण स्व. ललिताप्रसाद
सभी ग्राम चौरमारी तहसील रामपुर वाघेलाल
जिला सतना, मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- महिला फुलझरिया पत्नि स्व.राजमणि
2- देव प्रताप 3- गुरूप्रसाद
4- गुरूप्रशन्न पुत्रगण स्व. राजमणि
5- भैयालाल मृतक पुत्र सरजूप्रसाद
वारिस
रामआश्रय पुत्र स्व. भैयालाल
6- पन्नालाल पुत्र सरजूप्रसाद
7- अ- राममणि ब- जनार्दन
पुत्रगण स्व. गयाप्रसाद
स- महिला चन्द्रवती पत्नि स्व.गयाप्रसाद
द- श्यामकली पुत्री स्व. गयाप्रसाद
सभी ग्राम चोरमारी तहसील रामपुर वाघेलान
8- श्रीमती सरोज पत्नि महेशप्रसाद पुत्री स्व.राजमणि
निवासी भटलो तहसील हुजूर जिला रीवा
9- श्रीमती सुनीता पत्नि प्रमोद द्विवेदी पुत्री स्व.राजमणि
ग्राम गाड़ा तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना
10-महावीर सिंह पुत्र रामसेवक ग्राम मध्येपुर
तहसील हुजूर जिला रीवा
11-उदयभान पुत्र रामसेवक ग्राम बकिया बैला
तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना
12- कैलाश 13- रमाशँकर

14- रामनिवास तीनों पुत्रगण राजभान
15- रामभुवन 16- सत्यनारायण पुत्रगण इन्द्रभान
17- महिला सकुन्तला पत्नि स्व. रामनरेश
क-12 से 17 निवासी ग्राम सोनरा
तहसील हुजूर जिला रीवा मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक के0के0द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 9-3-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 553/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 01 मार्च, 2007 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि उभय पक्ष के बीच ग्राम चोरमारी स्थित सामिलाती खाते की कुल किता 25 कुल रकबा 39-59/1/2 एकड़ के बटवारे का मामला नायव तहसीलदार वृत्त सज्जनपुर तहसील रामपुर वाघेलान के समक्ष दायर हुआ। नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 113 अ-27/1993-94 पॅजीबद्व किया तथा आदेश दिनॉक 3-9-1994 पारित करके बटवारा कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण के पिता/पति ने अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलाल ने प्र0क0 32/1994-95 अपील में आदेश दिनांक 23-9-1995 पारित किया तथा नायव तहसीलदार वृत्त सज्जनपुर का आदेश दिनॉक 3-9-1994 निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुये संहिता की धारा 178 के अंतर्गत नियमों का पालन करते हुये पुनः विधि-सम्मत आदेश पारित किया जावे।

तहसीलदार रामपुर वाघेलान व्दारा पक्षकारों की सुनवाई की गई तथा प्रकरण कमांक 113 अ-27/1993-94 में पारित आदेश दिनांक 10-9-2001 से पक्षकारों के बीच बटवारा स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने प्र0क0 67/2001-02 अपील में

पारित आदेश दि.18-3-2002 से अपील स्वीकार कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 10-9-2001 निरस्त कर दिया तथा निर्णीत किया कि वादग्रस्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियां बटवारे हेतु शेष रहने की स्थिति में उभय पक्षकार सभी भूमियों को सम्मिलित पुनः बटवारे का आवेदन पेश कर सकते हैं।

अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के आदेश दिनॉक 18-3-2002 के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त , रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 553/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 01 मार्च, 2007 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 18-3-2002 निरस्त कर दिया तथा तहसीलदार रामपुर वाघेलान का आदेश दिनांक 10-9-2001 स्थिर रखा। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को, निगरानी मेमो के तथ्यों एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह निर्विवाद है कि तहसील न्यायालय के आदेश दिनॉक 3-9-1994 एंव आदेश दिनांक 10-9-2001 में पक्षकारों के बीच ग्राम चोरमारी स्थित सामिलाती खाते की कुल किता 25 कुल रकंबा 39-59/1/2 एकड़ के बटवारे पर विचार हुआ है जबकि आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर वाघेलान के समक्ष अपील कमांक 67/2000-01 की अपील मेमो में मुख्य आपत्ति (मांग) इस प्रकार की है :-

" रेस्पा0कमांक 1 से 6 वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा धारा 178 म0प्र0भू राजस्व संहिता के अंतर्गत अपी0/प्रतिवादी क-4 एंव रेस्पा. कमांक 7 से 17 प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम चोरमारी की आराजियात कुल किता 25 कुल रकबा 39.59/1/2 एकड़ भूमि सयुंक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक आराजियात है जिनका पूर्व में हिस्सावांट हो चुका है व हिस्सा बांट के अनुसार काविज है। फर्द पुल्ली के आधार पर खाता अलग करके हिस्सा अलग कर दिया जाय तद्नुसार नामांतरण किया जाय।

धारा 178 का0मा0 के प्रकरण में अपील0 ने दिनांक 7-10-96 को इस आशय का जवाव दावा प्रस्तुत किया कि वादीगण के व्दारा मात्र चोरमारी की आराजियात के बारे में अभिवचन किया गया है जबकि संयुक्त पैतृक आराजियात मध्येपुर ग्राम सोनेरा तहसील हुजूर जिला रीवा और ग्राम पटरहाई तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना की आराजियात को सामिल नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त वादीगण ने चोरमारी की आराजी नंबर 937 को भी सामिल नहीं किया है इस प्रकार वादीगण ने संपूर्ण पैत्रिक आराजियात को सामिल नहीं किया है।"

तहसील न्यायालय के जवाव दावा दि. 7-10-1996 के तथ्यों एंव अनुविभागीय

अधिकारी, रामपुर वाघेलान के अपील क्रमांक 67/2000-01 की अपील मेमो में अंकित उक्तानुसार आपत्ति अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष स्पष्ट होने के उपरांत ही आदेश दिनॉक 18-3-2002 में इस प्रकार निष्कर्ष निकाला है :-

" उभय पक्षों के सहखाते में आवेदित भूमियों के अलावा ग्राम चोरमारी में ही और भूमियां सहखाते में दर्ज हैं जिनको बटवारे में सामिल नहीं किया गया है अतः उनको भी सामिल किया जाय। इसी प्रकार ग्राम सोनेरा एंव मघेपुर में भी सहखाते की भूमियां दर्ज हैं उन्हें भी बटवारे में सामिल नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस जवाव दावे के खंडन में रिस्पा0 क्रमांक 1 से 6 / आवेदकगण तथा उनके पिता राजमणि व्दारा कुछ भी पेश नहीं किया गया तथा खंडन भी नहीं किया गया। न्यायालय ने भी इस बात पर गौर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वह इस बात को सिद्व करता कि आवेदित भूमियों के अलावा और भी भूमियॉ क्या उभयपक्षों के बीच सहखाते में दर्ज हैं या नहीं ? यदि दर्ज हैं तो उनका भी खुलाशा होना चाहिये था कि उन्हें बटवारे में सामिल क्यों नहीं किया गया। अतः रिस्पाण्डेन्ट के अधिवक्ता की यह दलील अस्वीकार की जाती है क्योंकि यह तथ्य प्रथम प्रथम वार ही नहीं उठाया गया है। "

अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने उक्तानुसार आधारों पर अपील स्वीकार करते हुये निम्नानुसार निर्णय दिया है :-

" अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाता है तथा अपील स्वीकार की जाती है। उभय पक्षकार यदि चाहे तो नये सिरे से उनके सहखाते में स्थित संपूर्ण भूमियों का उल्लेख करते हुये संहिता की धारा 178 के तहत बने नियमों के अनुसार प्रत्येक अंशधारी का अंश स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुये बटवारे का आवेदन पत्र पेश कर सकते है। "

अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के निर्णय से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में 178 के दावा प्रस्तुतकर्ता ने अन्य ग्रामों के सामिल खाते की भूमियों के तथ्य को छिपाते हुये एंव ग्राम चोरमारी की सामिलाती भूमि सर्वे नंबर नंबर 937 को भी छुपाकर ग्राम चोरमारी की आराजियात कुल किता 25 कुल रकबा 39.59/1/2 एकड़ भूमि सयुंक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक भूमि होना अंकित करके बटवारे का दावा प्रस्तुत किया था जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने कपट पर आधारित होना पाकर तहसीलदार रामपुर वाघेलान के दोषपूर्ण बटवारा आदेश दिनांक 10-9-2001 को निरस्त किया है। लेखक श्री बलवंत सिंह जी एंव श्री संजय चराटे व्दारा लिखित म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 (संस्करण 2011) की धारा 178 की टिप्पणी 13 इस प्रकार है :-

13- अभिलेख - भूमिस्वामी व्दारा विभाजन के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने के साथ उपनियम 2 के अनुसार जमाबंदी या अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि की प्रतिलिपि दी जाना आवश्यक किया गया है। खाते का भू राजस्व तथा धारित किये जाने वाला अधिकार सह भूधारियों के नाम और उनके अंशों का विस्तार दिया जाना आवश्यक है।

तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन अपूर्ण स्थिति में है क्योंकि संयुक्त परिवार की विभिन्न ग्रामों में विभिन्न खातों पर धारित समस्त भूमियों का अभिलेख , उनके अनुपातिक हिस्सों का विवरण तथा संपूर्ण भूमि का खुलाशा न होने के वाद भी तहसीलदार ने पटवारी व्दारा अपूर्ण खातों के आधार पर प्रस्तुत फर्द पटवारा स्वीकार करने की त्रृटि की गई और इन तथ्यों के स्पष्ट हो जाने पर अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान ने आदेश दिनॉक 18-3-2002 पारित करके तहसीलदार के दोषपूर्ण आदेश को निरस्त किया है किन्तु अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने वास्तविक तथ्यों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये अनुविभागीय अधिकारी रामपुर वाघेलान के आदेश दिनॉक 18-3-2002 को निरस्त करने में तथा तहसीलदार रामपुर वाघेलान के दोषपूर्ण आदेश दिनांक 10-9-2001 को यथावत् रखने में भूल की गई है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 01 मार्च, 2007 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 553/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 01 मार्च, 2007 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी, रामपुर वाघेलान व्दारा अपील कमांक 67/2000-01 में पारित आदेश दिनॉक 18-3-2002 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर